लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स ब्रहमदेव प्रसाद, प्रस्तावक, श्री ब्रहमदेव प्रसाद, पिता–श्री शिव शंकर साव, वार्ड–उचरी, पो0–गढ़वा, झारखंड के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक–05 बालू घाट, मौजा–डुमरी, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 26.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार (प्रखंड ई0 किसान भवन) सोनो, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2272/2023, दिनांक 02.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "हिन्दुस्तान", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **24.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक–05 बालू घाट, मौजा–डुमरी, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री ब्रहमदेव प्रसाद को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 05 में 42.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 534204 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1464.31 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 05 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।

5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।

7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।

8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।

9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम–डुमरी, जिला–जमुई के द्वारा मानक से अधिक गहराई तक खनन करने, नदी में बालू नहीं होने, खनन से प्रदूषण, गड्ढा होने से बच्चों और मवेशियों का जान जाने का खतरा होने, 50 मीटर के दायरे में सरकारी विद्यालय स्थित होने की शिकायत करते हुए वर्तमान में नदी में बालू स्तर की जाँच कराये जाने की मांग की गई तथा प्रस्तावित परियोजना का विरोध करते हुए स्वीकृति नहीं दिये जाने का मांग किया गया।	पूर्व परियोजना में 3 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति थी। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। अवैध रूप से खनन की सूचना प्राप्त होने पर जिला खनन विभाग द्वारा कारवाई की जाती है।
2.	श्री विभूति कुमार सिंह, ग्राम–डुमरी, जिला–जमुई के द्वारा भू–जल स्तर नीचे गिरने, अत्यधिक गहराई तक खनन करने तथा नीजी जमीन पर खनन करने का शिकायत किया गया।	पूर्व परियोजना में 3 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति थी। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। अवैध रूप से खनन की सूचना प्राप्त होने पर जिला खनन विभाग द्वारा कारवाई की जाती है। नीजी जमीन के विषय में अंचलाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी को आवेदन देने पर कारवाई की जायेगी।
3.	श्री राजेश कुमार सिंह, सोनो, जिला–जमुई के द्वारा भू–जल स्तर घटने, खनन से पाईन बंद होने और सिंचाई में दिक्कत होने का शिकायत किया गया।	भू–जल स्तर गिरने के कई कारक हैं, प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ सुखे क्षेत्र में खनन किया जायेगा, जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

श्री सन्नी कुमार, रूपेश कुमार, राहुल कुमार सभी ग्राम–सोनो, जिला–जमुई एवं बैठक में उपस्थित जन समूह के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का सामूहिक रूप से विरोध किया गया तथा इस प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति न दिये जाने की मांग किया गया।

अपर समाहर्ता सह सभा अध्यक्ष के द्वारा उपस्थित जन समूह को उनकी भावनाओं से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया तथा लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

27-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

27/6/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स ब्रहमदेव प्रसाद, पिता-श्री शिव शंकर साव, वार्ड-उचरी, पो०-गढ़वा, झारखंड द्वारा जमुई बरनार नदी ब्लॉक 05 बालू घाट, मौजा-डुमरी, ब्लॉक-सोनो, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **26.06.2023** को पूर्वाहन् **11:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार सोनो, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	[signature] 26/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll. Cont. Board	[signature] 26-6-23
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 26/06/2023
4.	Sprika	Mines inspector, Jamui	[signature] 26/06/2023
5.	Ayush Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 26/06/2023
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant P&M Solution (Noida)	[signature]
7.	[signature]	डुमरी	[signature]
8.	जितेन्द्र सिंह	डुमरी	जितेन्द्र सिंह
9.	जवाहर कुमार	डुमरी	जवाहर कुमार
10.	Gautam Kumar	Dumri	[signature]
11.	जितेन्द्र प्रसाद	डुमरी	जितेन्द्र

12.	ओंकार सिंह	केवाली	ओंकार सिंह
13.	सुधीर पाण्डेय	केवाली	सुधीर पाण्डेय
14.	मदन कु० सिंह	केवाली	मदन कु० सिंह
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	संतोष कुमार	डुमरी	संतोष कुमार
17.	R.K. [illegible]	[illegible]	R.K. [illegible]
18.	Bikramaj सिंह	Dumari	Bikramaj सिंह
19.	Jay Prakash	Jay Prakash	Jay Prakash
20.	नरेन्द्र सिंह	डुमरी	नरेन्द्र सिंह
21.	ओंकार सिंह	क डुमरी	ओंकार सिंह
22.	स्वामिनाथ सिंह	डुमरी	स्वामिनाथ सिंह
23.	Rajeev Singh	Dumri	Rajeev Singh
24.	Rahul Kumar	Dumri	Rahul Kumar
25.	SuBoDh Kumar	Dumari	सुबोध कुमार
26.	दामोदर सिंह	सोना कुमारी	दामोदर सिंह

27.	Ankit Pandey	balthar	Ankit Pandey
28.	Aukash Kumar	bolthar	A K Pandey
29.	MRitunjay Kumar	Kewali	MRitunjay Kumar
30.	Rahish KUMAR	Kewali	Rahish Kumar
31.	Avinash Pandit	Balthar	Avinash Pandit
32.	Gangadhar Pandey	Balthar	Gangadhar
33.	Kundan Kumar	SONO	[illegible]
34.	Santosh Kumar	Sono	[illegible]
35.	[illegible]	Sono	[illegible]
36.	Ritik	Sono	[illegible]
37.	[illegible]	Sono	[illegible]
38.	Aditaya	Sono	[illegible]
39.	Piyush	Sono	Piyush
40.	Rahul	Sono	Rahul
41.	[illegible]	SONO	[illegible]

42.	गौरी शंकर	कुमरी	गौरी
43.	Om Kur	जमुई	Om Kur
44.	मुकेश कु० यादव	बांका	मुकेश कु० यादव
45.	सन्नी कुमार	सोनो	सन्नी कुमार
46.	ललन कुमार	सोनो	ललन कुमार
47.	रूपेश कुमार	केवली	रूपेश कुमार
48.	Shekhar Kumar	Sono	Shekhar
49.	HariOM KUMAR	KEVALI	HariOM KUMAR
50.	Suraj Kumar	Kevali	Suraj Kumar
51.	Rahul	Kevali	Rahul Kumar
52.	Phantish	Kumar	Ph
53.	कमलेश कुमार	केवाली	कमलेश
54.	Md Shamim	BSPCB Patna	[illegible]
55.	Rahul Kumar	SONO	Rahul Kumar
56.			